न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 53/2020 प्रार्थना पत्र

GCMS No- 2020/00139

1. मु. ममता पुत्री बगदीराम धाकड़ (मन्दारा) आयु 28 साल, निवासी उंखलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मु0 सीमा पुत्री बगदीराम धाकड़ (मन्दारा) आयु 22 साल, निवासी उंखलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. बगदीराम पिता जगन्नाथ धाकड (मन्दारा) आयु 45 साल, निवासी उंखलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मु. रामकन्या पत्नी बगदीराम धाकड़, आयु 40 साल, निवासी उंखलिया।
3. मु. टीना गेलड पुत्री बगदीराम धाकड़ (मन्दारा) आयु 18 साल, निवासी उंखलिया।
4. शाखा प्रबन्धक, बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा निम्बाहेड़ा।
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।
6. उप पंजीयक निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 212 रा. का.अधि.

श्री बाबुलाल पाटीदार, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

श्री रामचन्द्र धाकड़, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3, उपस्थित

निर्णय दिनांक 22.02.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा उंखलिया की खाता संख्या 249 की आराजी नं. 632, 632/1840 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9300 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजीयात होकर प्रार्थीगण का इसमें जन्म से हित निहित है। प्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थीगण की माता श्रीमती सुरेश बाई से विवाह किया था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 बगदीराम ने नाता विवाह विपक्षी संख्या 2 रामकन्या के साथ किया जिसके साथ पूर्व पत से इनका एक पुत्री टीना भी आई जो गेलड पुत्री होने से वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 2 का हिस्से अनुसार कोई हक हिस्सा नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 का प्रत्येक का समान रूप से 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:05 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में जमीन की कीमतें बढ़ जाने से विपक्षी संख्या 2 व 3 की नियत में बदयांति आ गई इसी कारण विपक्षी संख्या 1 को बहला फुसला कर उक्त आराजीयात अपने नाम दर्ज कराने पर आमदा हो रहे हैं जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को हुई तो उन्होनें विपक्षी संख्या 1 से शिकायत की तो विपक्षी संख्या 1 जमीन अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहा है इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। पुश्तैनी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है, विक्रय किये जाने से अजनबी क्रेता विवादित भूमि पर आयेंगे तो अधिकतम असुविधा प्रार्थीगण को ही होगी तथा मौके पर अनावश्यक विवाद होंगे। पुश्तैनी जमीन का विक्रय हो जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को नकार दिया। विवादित भूमि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी व विपक्षी संख्या 1 व 2 की कब्जे काश्त की बताते हुए निजी व खरीदशुदा बताया है। साथ ही अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने पुश्तैनी भूमि होने के तथ्य गलत अंकित किये हैं। विपक्षी संख्या 3 टीना बगदीराम की जाइन्दा पुत्री है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

विशेष कथन मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि नहीं होकर साबिक आराजी नं. 237 में से 1/2 हक हिस्सा दोनों भाईयों द्वारा निजी रजिस्टर्ड बयनामा से खरीदा गया था जिसमें बगदीराम के जीवित रहते प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। यह भूमि मौजा उंखलिया की आराजी नं. 237 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी जो भागीरथ पिता काशीराम धाकड़ के खातेदारी की थी जिसमें से 1/2 हिस्सा दोनों भाईयों बगदीराम व जगदीशचन्द पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी उंखलिया द्वारा खरीदी गई थी। बाद में जगदीशचन्द्र [illegible] जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग अपना हक हिस्सा बगदीराम के पक्ष में हक [illegible] कर दिया गया जिससे सन् 2007 से उक्त आराजी की 1/2 हिस्सा अकेले बगदीराम के नाम दर्ज हुआ। प्रार्थी संख्या 1 [illegible] की शादी उंखलिया में हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार शुभलग्न तथा मुहुर्त के हिसाब से लगभग 20 वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में मुकेश पिता मोहनलाल धाकड़, निवासी टाई के साथ की गई थी तथा शादी के समय सब कुछ जर जैवरात, नकद, घर गृहस्थी के सारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:05 IST
Reason: Self-Attested

बर्तन आदि दे दिये गये थे। उसके बाद कसी प्रकार का हक हिस्सा प्रार्थीया 1 ममता का अपने पिता के यहां किसी भी प्रकार से नहीं रहा है। इसी प्रकार ममता से छोटी दोनों बहनों सीमा एवं टीना का विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व कर दिया गया था तथा उनको भी हैसियत के अनुसार घर गृहस्थी का सारा सामान दे दिया गया था। प्रार्थीगण गांव के अन्य लोगों के बहकावे में आकर गलत प्रार्थना पत्र एवं वाद लेकर आयी हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम उंखलिया की खाता संख्या 249 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से नकल जमाबन्दी संवत 2058-61 ग्राम उंखलिया की खाता संख्या 173, मिलान क्षेत्रफल ग्राम उंखलिया व टीना धाकड़ का आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है। दोनों अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 1 विवादित भूमि को अपनी खरीदशुदा बताता है जबकि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की जाईन्दा सन्तान होना स्वीकार भी करता है। प्रार्थीगण टीना को गेलड पुत्री बताते हैं जबकि विपक्षी संख्या 1 उसे अपनी जाईन्दा पुत्री बताता है। विपक्षी संख्या 1 यह भी स्वीकार करता है कि प्रार्थीगण पुत्रीयां होकर जो भी सम्पत्ति देनी थी वह उनके विवाह के समय दे चुका है। हमने उभय पक्ष की बहस एवं प्रकरण में प्रकट हुए तथ्यों पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की जाईन्दा संतानें हैं। विवादित भूमि पुश्तैनी है अथवा नहीं, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है अथवा नहीं, प्रार्थीगण का इस भूमि में जन्म से हित निहित है अथवा नहीं, ये सभी बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य व गवाही के उपरान्त गुण अवगूण के आधार पर ही तय किये जा सकेंगे। तब तक पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद व व्यर्थ की मुकदमें बाजी रोकने की दृष्टि से विवादित भूमि की यथास्थिति कायम रखी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक विवादित भूमि वाके मौजा उंखलिया की खाता संख्या 249 की आराजी नं. 632, 632/1840 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9300 हैक्टेयर के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। किसी प्रकार का हस्तान्तरण, निर्माण [illegible] नहीं करें ना करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 22.02.2021 को खुले इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:36:05 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official